न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 28 / 2021

निर्णय दिनांक :– 03.01.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

राजेन्द्र पुत्र जगदीश जाति धाकड़ उम्र 39 वर्ष निवासी कालानाड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

बनाम

1. कैलाश पुत्र जगदीश जाति धाकड़ उम्र 48 वर्ष निवासी कालानाड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. रतन पुत्र जगदीश जाति धाकड़ उम्र 43 वर्ष निवासी कालानाड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. बिरदीचन्द पुत्र जगदीश जाति धाकड़ उम्र 41 वर्ष निवासी कालानाड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. तहसीलदार महोदय, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज०

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त वर्णित आराजीयात को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 ता 3 ने जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1994 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का नामांतकरण भी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 ता 3 के हक में खोल दिया गया था तब से ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मोके पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 ता 3 आपस में सगे भाई है। प्रार्थी को राजेन्द्र एवं प्रधान इन दोनो नामो से जाना जाता है तथा यह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है जो प्रार्थी के स्वयं के नाम है। प्रार्थी को बचपन मे प्रधान के नाम से पुकारा जाता था जिसके कारण विक्रय पत्र का पंजीयन कराते समय प्रार्थी का बचपन का नाम प्रधान अंकित कर दिया गया था जिसके आधार पर ही नामांतकरण खुलते समय प्रार्थी के बचपन का नाम प्रधान अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र है तथा उक्त वर्णित भूमि मे प्रार्थी का नाम प्रधान पुत्र जगदीश राजस्व रिकार्ड

में अंकित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेज मे अलग अलग होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है तथा राज्य / केन्द्र सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है तथा ना ही ऋण प्राप्त कर पा रहा है। ऐसी स्थिति मे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम न्यायहित मे दुरूस्त किया जाकर प्रधान उर्फ राजेन्द्र पुत्र जगदीश अंकित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 को सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है जिनके खिलाफ कोई रिलिफ नही चाही गयी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी हाल खाता संख्या 10 खसरा नम्बर 513 रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम खेड़ा गांवड़ी पटवार हल्का गांवडी तहसील देवली जिला टोक राज0 मे प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाकर प्रधान उर्फ राजेन्द्र जगदीश अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश है:–प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 कानूनी है, जवाब कीआवश्यकता नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त कर दिया जावे इसमे हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

पंत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को हीं दोहराया।

तहसीलदार का उक्त आराजी में कोई उज्र नहीं होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी को प्रधान व राजेन्द्र दोनो नाम से जाना जाता है और सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र जगदीश धाकड़ का अंकन है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में भी राजेन्द्र पुत्र जगदीश धाकड़ करवाना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2049–52 वाके ग्राम खेड़ागांवड़ी के कॉलम संख्या 4 में श्रीमती कैलाशी पत्नी सीताराम कोम धाकड़ सा. पापोला तह0 टोडारायसिंह खातेदार के रूप दर्ज राजस्व अभिलेख है। कॉलम संख्या 12 से 17 में ना. सं. 86 दिनांक 13.07.94 बेचान से आराजी ख. नं. 513 रकबा 1.25 है0 कैलाश रतन बिरधीचन्द प्रधान पुत्र जगदीश धाकड़ नि. कालानाडा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.94 में कैलाशी धर्म पत्नी सीताराम जाति धाकड़ ने कैलाश, रतन, बिरधीचन्द, प्रधान सभी पुत्र

जगदीश धाकड़ को बेचान किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन आधार कार्ड संख्या 539645343934 में राजेन्द्र प्रसाद नागर पुत्र जगदीश प्रसाद धाकड़, परिवार राशन कार्ड में राजेन्द्र धाकड़ पुत्र जगदीश धाकड़, ग्राम पंचायत गांवड़ी के सरपंच बजरंगलाल धाकड़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 19.01.2021 के अनुसार प्रधान पुत्र जगदीश धाकड़ व राजेन्द्र पुत्र जगदीश धाकड एक ही व्यक्ति है। राजेन्द्र के परिवार में बड़े भाई कैलाश, रतन, बिरधीचन्द है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 प्रार्थी के भाई है जिन्होने प्रार्थना पत्र के समर्थन में इकबालिया जवाब पेश करते हुए, प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने की प्रार्थना की है। उक्त दस्तावेजो का अवलोकन करने पर यह जाहिर है कि प्रधान व राजेन्द्र एक ही व्यक्ति है परन्तु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.94 में प्रार्थी का नाम प्रधान का अंकन करवा दिया जिसको शुद्ध किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड आराजी खसरा नम्बर 513 रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम खेड़ा गावंड़ी तहसील देवली में दर्ज प्रार्थी का नाम प्रधान उर्फ राजेन्द्र पुत्र जगदीश दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली